



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31122024-259768
CG-DL-E-31122024-259768

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 732]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 31, 2024/पौष 10, 1946

No. 732]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 31, 2024/PAUSHA 10, 1946

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2024

सा.का.नि. 794(अ).— केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 128 की उपधारा (1) और (3), धारा 129 की उपधारा (3), धारा 133, धारा 134, धारा 135 की उपधारा (4), धारा 136 की उपधारा (1), धारा 137 और धारा 138 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (लेखा) दूसरा संशोधन नियम, 2024 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के, नियम 12 के, उपनियम (1ख) के, चौथे परंतुक में, “31 दिसंबर, 2024 को या उससे पहले” शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, “31 मार्च, 2025 को या उससे पहले” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

[फा. सं. 1/19/2013-सीएल-V-भाग-IV-भाग(1)]

बालामुरुगन डी, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 239(अ), तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 587(अ), तारीख 24 सितंबर, 2024 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2024

G.S.R. 794(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 128, sub-section (3) of section 129, section 133, section 134, sub-section (4) of section 135, sub-section (1) of section 136, section 137 and section 138 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Accounts) Rules, 2014, namely:—

1. **Short title and commencement.** —(1) These rules may be called the Companies (Accounts) Second Amendment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Accounts) Rules, 2014, in rule 12, in sub-rule (1B), in the fourth proviso, for the words, figures and letters “on or before 31st December, 2024”, the words, figures and letters “on or before 31st March, 2025” shall be substituted.

[F. No. 1/19/2013-CL-V Part IV-Part(1)]

BALAMURUGAN D, Jt. Secy.

Note :- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 239(E), dated the 31st March, 2014 and was last amended vide notification number G.S.R. 587(E), dated the 24th September, 2024.